



केन्द्रीय विद्यालय बीरपुर, देहरादून
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय)
सी.बी.एस.ई. पंजी. सं. 3500003
स्कूल सं. 84004
दूरभाष-0135-2554434
देहरादून (उ.ख.) -248003

KENDRIYA VIDYALAYA BIRPUR, DEHRADUN
(Under Ministry of Education Govt. of India)
CBSE AFF. No. 3500003
SCHOOL NO. 84004
Ph.0135-2554434
Dehradun(U.K.)-248003
e-mail:kvbirpur@gmail.com
<https://dehradunbirpur.kvs.ac.in>

F.1364/KVB/2023-24/

दिनांक:- 13.06.2023

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) नई दिल्ली के परिपत्र 11-55/2000-KVS(Vig) Pt.11212-25 दिनांक 05.03.2019 के आलोक में कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत विद्यालय स्तर पर प्राप्त शिकायतों के निपटान हेतु इस कार्यालय आदेश के द्वारा विद्यालय स्तर पर निम्नलिखित सदस्यों की समिति तुरंत प्रभाव से गठित की जाती है :-

1	श्रीमती स्वाती अग्रवाल, सहायक आयुक्त के.वि.स. (क्षे.का.) देहरादून संभाग।	पीठासीन अधिकारी (क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रतिनियुक्त)
2	सुश्री नीरा नन्दा, 6 नगरपालिका रोड, देहरादून (दूरभाष- 2656900 मो. 9837731132)	एन.जी.ओ. सदस्य Neera Nanda
3	श्रीमती गुंजन श्रीवास्तव पी.जी.टी. (जीव. विज्ञान)	सदस्य
4	श्री देवेन्द्र सिंह पी.जी.टी. (वाणिज्य)	सदस्य
5	श्रीमती लीना रावत टी.जी.टी. (हिन्दी)	सदस्य

टिप्पणी :-

1. पीठासीन अधिकारी के निर्देशन में समिति के उपरोक्त सदस्य इस आदेश के जारी होने की तिथि से 3 वर्षों तक कार्यरत रहेंगे।
2. कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच सख्ती की साथ निर्धारित प्रक्रिया, अधिनियम में निर्धारित कालानुक्रम तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाये।


(वसन्ती खम्पा)
प्राचार्या

प्राचार्य/ Principal
के.वि. बीरपुर देहरादून/
K.V. Birpur, Dehradun